ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट–1, के0पी0–4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0) ।
website: www.greaternoidaauthority.in
email id: authority@gnida.in

पत्रांक :– 51849 / ग्रे0नौ0 / वित्त / 2017–18 दिनांक: 10/10/2017

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 109वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.09.2017 के मद संख्याः 109 / 26 द्वारा विभिन्न परिसम्पत्तियों में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, को–ऑपरेटिव सोसायटी, बिल्डर्स, औद्योगिक, व्यवसायिक, संस्थागत तथा आई0टी0 योजनाओं में दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 से ब्याज दर 12 के स्थान पर 11 प्रतिशत एवं दण्डात्मक ब्याज दर 15 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत किये जाने का अनुमोदन दिया गया है। साथ ही उक्त परिसम्पत्तियों के लीजरेन्ट पर दण्डात्मक ब्याज दर 15 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत किया गया है।

अतः समस्त आवंटियों पर 01 अक्टूबर, 2017 से ब्याज दर 11 प्रतिशत एवं दण्ड ब्याज 14 प्रतिशत लिया जायेगा अर्थात दिनांक 30.09.2017 तक पूर्व की दरो के आधार पर ब्याज का आगणन होने के बाद कैपिटलाईज धनराशि पर दिनांक 01.10.2017 से ब्याज दर 11 प्रतिशत तथा दण्डात्मक ब्याज दर 14 प्रतिशत लिया जायेगा तथा इसी आधार पर समस्त गणना होगी।

ग्रुप हाउसिंग / बिल्डर्स आदि योजनाओं में इस ब्याज लाभ को अपने आवंटियों को भी प्रदान करेंगें। बिल्डर्स व अन्य योजनाओं में जहॉ किसी अन्य मद में अतिरिक्त दण्ड ब्याज का प्रावधान लागू है वहॉ उक्त निर्धारित दण्ड ब्याज अतिरिक्त रूप से लिया जायेगा।

10/10/17

(हौसिला प्रसाद वर्मा)
महाप्रबन्धक (वित्त)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (नियोजन / उद्यान / सम्पत्ति / परियोजनाा–आर0 / के0) को सूचनार्थ।
4. उप महाप्रबन्धक (आई0टी0 / संस्थागत / उद्योग / अर्बन सर्विसेज / नियोजन) को सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ कार्यपालक (.......................................) को सूचनार्थ।
6. वरिष्ठ कार्यपालक (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित कि सिस्टम में उपरोक्तानुसार प्रोग्राम तैयार कराये ताकि तदनुसार गणना का आगणन इंटीमेशन में होता रहें।
7. गार्ड फाइल।

महाप्रबन्धक (वित्त)

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लॉट–1, के0पी0–4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0) ।
website: www.greaternoidaauthority.in
email id: authority@gnida.in

पत्रांक :– 51955/ग्रे0नौ0 /वित्त/2017–18 दिनांकः 11/10/2017

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 109वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.09.2017 मद संख्याः 109/4 में लिये गये निर्णयानुसार आवंटियों द्वारा प्राधिकरण में एकमुश्त धनराशि के भुगतान पर स्लैबवार छूट प्रदान किये जाने हेतु मा0 बोर्ड के संचालक मण्डल द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है–

1. भविष्य की सम्पूर्ण देय किश्तों की मूल धनराशि को एकमुश्त जमा करने पर देय मूल धनराशि पर 5 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।
2. भविष्य की सम्पूर्ण देय किश्तों की मूल धनराशि की 75 प्रतिशत व उससे अधिक और 100 प्रतिशत से कम धनराशि एकमुश्त जमा करने पर देय मूल धनराशि पर 3.50 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।
3. भविष्य की सम्पूर्ण देय किश्तों की मूल धनराशि की 50 प्रतिशत व उससे अधिक और 75 प्रतिशत से कम धनराशि एकमुश्त जमा करने पर देय मूल धनराशि पर 2.00 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।

उपरोक्त छूट निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधनो के अधीन प्रदान की जायेंगीः–

क). आवंटी पर कम से कम 02 छमाही या 04 त्रैमासिक किश्तें देय हों। आवंटी द्वारा 75 प्रतिशत या 50 प्रतिशत देने के उपरान्त आगामी किश्ते यथावत रहेगी तथा किश्तों की देय अवधि तदनुसार कम होती जायेंगी।

ख) उक्त की गणना हेतु सिस्टम तैयार कराया जायें तथा सिस्टम तैयार होने तक की गणना मैनुअल रूप से वित्त द्वारा की जायेगी।

इस प्रकार एकमुश्त धनराशि का भुगतान करते हुये छूट प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित आवंटियों को प्राधिकरण से पूर्वानुमति भी प्राप्त करनी होगी। आवंटियों से उक्त के सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित विभाग एक सप्ताह के भीतर आवंटियों को वांछित धनराशि जमा करने हेतु अवगत करायेगा।

उपरोक्त सुविधा आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होगा।

11/10

(हौसिला प्रसाद वर्मा)
महाप्रबन्धक (वित्त)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (नियोजन/उद्यान/सम्पत्ति/परियोजना–आर0/के0) को सूचनार्थ।
4. उप महाप्रबन्धक (आई0टी0/संस्थागत/उद्योग/अर्बन सर्विसेज/नियोजन) को सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ कार्यपालक (..) को सूचनार्थ।
6. प्रभारी (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार प्रोग्राम तैयार कराया जाये तथा यदि इस हेतु मैनुअल गणना की आवश्यकता हो तो वित्त विभाग सैम्पल गणना उपलब्ध करायेगा।
7. गार्ड फाइल।

महाप्रबन्धक (वित्त)